

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 530 / गोपनीय / 2018  
दो-2-30 / 2018

जबलपुर, दिनांक 28 अप्रैल, 2018


प्रतिलिपि :- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन  
फा. क्र.3(ए)6 / 2014 / 21-ब(एक), दिनांक 28.04.2018 की प्रति :-

1. उपनियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को उनके विभागीय आदेश पृष्ठांकन फा.क्र.3(ए)6 / 2014 / 21-ब(एक), दिनांक 28.04.2018, के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल को उनके सूचना पत्र, दिनांक 08.04.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg.(I.T)(SA)/2018/368, दिनांक 01.03.2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

6. रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
  - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (4) सदस्य सचिव / उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (5) सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (6) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (7) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (I.L.&I.L.R)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ (प्रशासन)/ रजिस्ट्रार-सह-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
  - (8) प्रभारी संचालक/ अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
7. रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

9. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
11. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
12. रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
13. अनुभाग अधिकारी, पेन्शन/ बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर/ लाइब्रेरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

  
(मो. फहीम अनवर)  
रजिस्ट्रार जनरल



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग  
आदेश

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल, 2018

फा.क्र. 3(ए)6/2014/21-ब(एक), राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री ए.एम.सक्सेना, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को उनके द्वारा दिनांक 08.04.2018 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुक्रम में एम.पी. डिस्ट्रीक्ट एण्ड सेशनस जजेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट) रूल्स, 1964 के नियम-16 (2-ए), सहपठित ऑल इंडिया सिविल सर्विस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट) नियम, 1958 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 01.05.2018 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

( आर.के. पाण्डे )  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल दिनांक 28 अप्रैल, 2018

पू.फा.क्र.3(ए)06/2014/21-ब(एक)  
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके अर्द्धशासीय पत्र क्रमांक 504/गोपनीय/2018/II-2-30/2018 दिनांक 23.04.2018,
2. श्री ए.एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल,
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित,
4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल, की ओर राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित,

( नवीन कुमार सक्सेना )  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

28 APR 2018  
REGISTRAR GENERAL  
HIGH COURT OF M.P.  
JABALPUR  
D.R. (C. Gorbalk)